तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 72/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस ...म की तामिल में जारी हुए
09.12.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी गणेश मेघवाल पुत्र रतनाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 28.6.2021 को फर्म दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता गणेश मेघवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Drinking Chocolate (Classic) का नमूना संख्या S-1444, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:**L.S./405/Act/2021/502** दिनांक 13.7.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 06.12.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के दा काबराज फूड लैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू पर आये थे। प्रतिवादी ने चन्द्रा एजेन्सी, माउन्ट आबू के प्रोपराईटर शैलेष अग्रवाल से Drinking Chocolate (Classic) के पैक्ड पैकेट खरीद किये थे और उसी में से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लिया गया। नमूना लेने की कार्यवाही से सील चपडी करने की कार्यवाही में प्रतिवादी व स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही करवाये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सील चेपा की गई हुई पैकेट पूर्ण रुप से बंद थे या नही, इसकी प्रतिवादी को जानकारी नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई इसकी जानकारी प्रतिवादी को नही है व न ही प्रतिवादी के समक्ष मौका फर्द तैयार की है तथा न ही मौका फर्द पर सील प्रतिवादी के सामने लगाई गई है। यह कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.7.2021 में Choco powder content in dry micturew (m/m) का मिक्चर 20 प्रतिशत से कम नही होना चाहिये और मौजूदा रिपोर्ट में 12.52 प्रतिशत आया है, जबकि उक्त रिपोर्ट गलत है। अन्य किसी प्रकार की कोई मिलावट इत्यादी आईसक्रीम में नही पाई गई है जिससे प्रतिवादी से लिये गये नमूनें को अमानक नही कहा जा सकता . ....लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 72/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

है। बावजूद इसके प्रतिवादी उक्त पावडर शैलेष अग्रवाल की फर्म चन्द्रा एजेन्सी से खरीद करता था और क्लासिक ब्राण्ड के कम्पनी के पैकिंग खरीद कर चोकलेट ड्रिंक बनाता था जिसमें यदि कोई कमी रही है तो उसके लिये प्रतिवादी का कोई दोष नही है। यह कि उक्त नमूनें की प्रतिवादी अभियुक्त रेफरल लेब से पुनः जांच करवाना चाहता था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी को इस संबंध में जानकारी नही दी जिससे नमूनें की पुनः जांच हेतु प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा अपील नही की जा सकी। बावजूद इसके अमानक खाद्य सामग्री के लिये निर्माता कम्पनी व उसका डीलर जिम्मेदार है। प्रतिवादी अभियुक्त अनभिज्ञ व्यक्ति है और वह कम्पनी के पैकिंग पाउडर खरीद करता था और उपयोग में लेता था जिससे समस्त जिम्मेदारी निर्माता कम्पनी व डीलर है। प्रतिवादी ने Drinking Chocolate (Classic) में कोई मिलावट नही की है व न ही मिलावट युक्त पाई गई है तथा न ही तयशुदा मानक से कम चोकों पाउडर का उपयोग किया गया है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 28.6.2021 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम मेघवाल पुत्र रतनाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– नेहरु कॉलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू के निरीक्षण के दौरान दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर में आलमारी की रैक में Drinking Chocolate (Classic) के 10 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) रखे हुए थे, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम मेघवाल को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने उक्त पार्लर में आलमारी की रैक में रखे हुए खाद्य पदार्थ Drinking Chocolate (Classic) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 760/– (अक्षरे रुपये सात सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम मेघवाल को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1444, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Drinking Chocolate (Classic) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर

.....लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 72/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Drinking Chocolate (Classic) के चारों पैक्ड पाउचों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1444 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता गणेशराम मेघवाल व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता श्री विनोद कुमार शर्मा व गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीव्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी गणेशराम से खाद्य पदार्थ Drinking Chocolate (Classic) के एक–एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचेज को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Drinking Chocolate (Classic) का नमूना संख्या S-1444, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./405/Act/2021/502** दिनांक 13.7.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी गणेशराम को Drinking Chocolate (Classic) के नमूनें के रेफरल लेब से जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2021/828–30 दिनांक 30.7.2021 से उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर अपील आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन प्रतिवादी ने Drinking Chocolate (Classic) के नमूनें की पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब के साथ Drinking Chocolate (Classic) के खरीद का जो

......लगातार

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 72/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

बिल प्रस्तुत किया है उस पर ब्राण्ड़ का नाम अंकित नही है एवं न ही संबंधित एजेन्सी के विक्रेता के हस्ताक्षर बिल पर किये हुये है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी गणेशराम मेघवाल पुत्र श्री रतनाराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रतिवादी विक्रेता, फर्म दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Drinking Chocolate (Classic) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Drinking Chocolate (Classic) (नमूना संख्या S-1444) के विक्रय हेतु प्रतिवादी गणेशराम मेघवाल पुत्र श्री रतनाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– नेहरु कोलोनी, मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रतिवादी विक्रेता, फर्म दा काबराज फूडलैण्ड एण्ड आईसक्रीम पार्लर, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी गणेशराम मेघवाल पुत्र श्री रतनाराम को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 10.01..2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.